केवल **E-Mail/Fax** द्वारा

|| कार्यालय जिलाधिकारी गढवाल ||

E-Mail ID:dmgarhwal@gmail.com /PHONE- 01368-222250/Fax: 222080

संख्याः 678 / 26–प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0) / 2018, दिनांक पौडी 19 .2018

आदेश

उपजिलाधिकारी धुमाकोट ने अपने पत्र संख्याः 206 / अहलमद– विविध / 2017–18 दिनांक 13.12.2017 के द्वारा ग्राम मैखुली–देवराड़ी–कफलेख–चौण्डा–कठूरखाल मोटर मार्ग हेतु ग्राम चिलाऊ पल्ला पट्टी बूंगी तहसील धुमाकोट की नॉन जेड0ए0 9(2) ख झाड़ी खसरा नं0 579 कुल रक्वा 7.557 है0 मध्ये 6.156 है0 सिविल भूमि चयनित कर प्रस्तावित की गयी है।

2. शासनादेश संख्याः 2173 / XVII (2) / 2012–18 (120)2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजना के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 20,000 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकारी जिलाधिकारी को प्रतिनिधायित किया गया है।

अतः जनपद गढ़वाल के अन्तर्गत मैखुली–देवराड़ी–कफलेख–चौण्डा–कठूरखाल मोटर मार्ग हेतु उपजिलाधिकारी धुमाकोट की आख्या एवं शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम चिलाऊ पल्ला पट्टी बूंगी तहसील धुमाकोट की नॉन जेड0ए0 9(2) ख झाड़ी खसरा नं0 579 कुल रक्वा 7.557 है0 मध्ये 6.156 है0 सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपजिलाधिकारी / तहसीलदार धुमाकोट तद्नुसार अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

प्रतिलिपिः **निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु–**

1– सचिव,राजस्व विभाग,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।
2– आयुक्त,गढवाल मण्डल पौड़ी।
3– नोडल अधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी,गढ़वाल वन प्रभाग,पौड़ी।
4– अधिशासी अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग,बैंजरो ।
5– उपजिलाधिकारी / तहसीलदार,धुमाकोट।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

R-17/18(RC)
R.K. Dhumakot
कृ0 आवश्यक कार्यवाही
THR(DH)
20-1-18

प्रतिलिपि,
R-6 में अमलदरामद
किया,